मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1511
09.02.2026 को उत्तर के लिए

चीनी माँझे की अवैध बिक्री और उपयोग

1511. श्री बाबू सिंह कुशवाहाः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनवरी, 2026 में मकर संक्रांति के पर्व के दौरान जौनपुर में 28 वर्षीय चिकित्सक डा. समीर हाशमी की चीनी माँझे से गला रेतकर मृत्यु हो गई थी, जो एक महीने के भीतर जिले में इस तरह की दूसरी मौत थी;

(ख) वर्ष 2017 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कुल तीन मौतें और 100 से अधिक गंभीर रूप से घायल होने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार/राज्य सरकार द्वारा त्योहारों के दौरान माँझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिनमें बाजार, निरीक्षण, छापेमारी, जब्ती और जागरूकता अभियान शामिल हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी मौतों को रोकने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच क्या समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सहित 19 से अधिक राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारतीय दंड संहिता, आदि के तहत चाइनीज़ मांझा/नायलॉन/सिंथेटिक/कांच-लेपित डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए निषेधात्मक आदेश जारी किए है। 6 राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उनके संबंधित राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों में चीनी मांझा / नायलॉन धागे का कोई विनिर्माण उद्योग / इकाइयां नहीं हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ़एंडसीसी) ने दिनांक 23.02.2023 के पत्र के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से पतंग उड़ाने में उपयोग होने वाली चाइनीज़

मांझा/नायलॉन/सिंथेटिक/कांच-लेपित डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु उचित कदम उठाने तथा निषेधात्मक आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, एमओईएफ़एंडसीसी ने दिनांक 23.02.2023 के पत्र द्वारा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने और निषेधात्मक आदेश जारी करने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से भी अनुरोध किया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिनांक 27.03.2023 के पत्र के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को चाइनीज़ मांझा के उपयोग पर प्रतिबंध का सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करने तथा निर्माताओं द्वारा उल्लंघन को रोकने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

i. पतंग उड़ाने में उपयोग होने वाली चाइनीज़ मांझा/नायलॉन/सिंथेटिक सामग्री/कांच-लेपित डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएं;

ii. यह सुनिश्चित करें कि वैध संचालन की सहमति (सीटीओ) प्राप्त मौजूदा इकाइयाँ भी पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज़ मांझा/नायलॉन/सिंथेटिक/कांच-लेपित डोर का निर्माण या उत्पादन नहीं करेंगे।

iii. यह सुनिश्चित करें कि "रेयॉन सहित सिंथेटिक फाइबर, टायर कॉर्ड, पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न" का निर्माण करने वाली इकाइयाँ वार्षिक स्व-घोषणा विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह घोषित हो कि वे अपने उत्पादों की आपूर्ति केवल वैध उपयोगकर्ताओं को ही कर रही हैं तथा पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज़ मांझा/नायलॉन/सिंथेटिक सामग्री/कांच-लेपित डोर के निर्माण में संलग्न किसी भी इकाई को आपूर्ति नहीं कर रही हैं।

iv. पतंग उड़ाने में उपयोग होने वाली चाइनीज़ मांझा/नायलॉन/सिंथेटिक सामग्री/कांच-लेपित डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों/मीडिया आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

तेलंगाना सरकार के पर्यावरण, वन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (ईएफ़एसएंडटी) विभाग ने दिनांक 17.01.2018 तथा 13.01.2016 के सरकारी आदेशों के माध्यम से तेलंगाना राज्य में नायलॉन, प्लास्टिक एवं चाइनीज़ मांझा, तथा पतंग उड़ाने में उपयोग होने वाली किसी भी अन्य तेज़ या तेज़ बनाई गई डोर जैसे कांच, धातु या अन्य धारदार पदार्थों से लेपित डोर के बिक्री, निर्माण, भंडारण, आपूर्ति और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। तेलंगाना राज्य में सिंथेटिक मांझा/नायलॉन डोर का निर्माण करने वाली कोई भी इकाई नहीं है। तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिनांक 04.01.2025 को सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर सिंथेटिक मांझा/नायलॉन डोर की बिक्री, भंडारण एवं उपयोग में संलग्न इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिनांक 28.05.2020 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि पतंग उड़ाने में उपयोग होने वाली नायलॉन, सिंथेटिक सामग्री से बनी अथवा/और सिंथेटिक पदार्थों से लेपित, जो जैव-अवक्रमणीय नहीं हैं, डोर का निर्माण करने वाली कोई भी इकाई राज्य में मौजूद नहीं है।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अंतर्गत दिनांक 01.05.2017 को सभी संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को पतंग उड़ाने में उपयोग होने वाली नायलॉन, सिंथेटिक सामग्री से बनी तथा/अथवा सिंथेटिक पदार्थों से लेपित जो जैव-अवक्रमणीय नहीं हैं, डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा दिनांक 30.01.2026 को गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, सभी जिला मजिस्ट्रेटों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों, उत्तर प्रदेश के साथ एक बैठक आयोजित की गई। तदनुसार, सभी जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, जब्ती, छापेमारी तथा दुकानों के निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 01.05.2017 के पत्र माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने हेतु पुलिस एवं सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी किए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डॉ. समीर हाशमी नामक एक व्यक्ति की 14.01.2026 को पतंग की मांझा/डोर से गला कटने के कारण मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में यह भी सूचित किया गया है कि चाइनीज़ मांझा/सिंथेटिक डोर की बिक्री पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए एक विशेष अभियान (स्पेशल ड्राइव) चलाया गया। इस विशेष अभियान के दौरान भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 51 अभियोजन मामले दर्ज किए गए, 60 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के दौरान 308 किलोग्राम चाइनीज़ मांझा जब्त किया गया। ड्रोन निगरानी भी की गई तथा पतंग उड़ाने में चाइनीज़ मांझा का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, मोटरसाइकिल चलाते समय सुरक्षा उपाय अपनाने के संबंध में नागरिकों को जागरूक करने हेतु सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालियों के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया गया है।

*****